सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 297 राँची, गुरुवार, 14 ज्येष्ठ, 1948 (श०) / 4 जून, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

25 मई, 2026

संख्या- 05/आरोप-1-1/2024 का०- 3457--विभागीय अधिसूचना सं0-1749, दिनांक 05.03.2024 द्वारा श्री संजय कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-221/20) को कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया गया है। उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक-141(ii) / स्था०, दिनांक 17.04.2026 सूचित किया गया है कि श्री सिन्हा द्वारा अब तक सिमडेगा जिला में योगदान नहीं किया गया है ।

2. अतः कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा के पद पर योगदान समर्पित नहीं करने एवं अनधिकृत अनुपस्थिति के आलोक में श्री सिन्हा को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

3. निलंबन अवधि में श्री सिन्हा का मुख्यालय-प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है तथा उक्त अवधि में उनको झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबूरू,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 297 - 50